राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर

पत्रांकः 79 /पू0वि0वि0/रा0से0यो0/2022–23 दिनांकः 07.09.2022

सेवा में,

प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी (रा0से0यो0)
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः राज्य में ''नशा मुक्ति अभियान'' कार्यक्रम की क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र पत्रांक–3324/सत्तर–03–2022, दिनांक 30.08.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि हमारे देश में विशेष रुप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दरूपयोग बढ़ता जा रहा है और यह चिन्ता का विषय है। इसी क्रम में ''**नशा मुक्ति अभियान**'' के अन्तर्गत बच्चों द्वारा नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थो के दुरूपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता हैः–

1. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाय जिसमें 20 से 25 छात्र होगे।
2. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरुद्व जागरुकता अभियान चलायेगें तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेगें।
3. कोटपा अधिनियम 2003 की धारा–4 (ख) के अन्तर्गत सभी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू,पान, बीड़ी, शराब आदि की दुकाने न हो।
4. एन0एस0एस0 द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगो तक पहुचना और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने हेतु जागरुकता अभियान चलाया जाय।
5. उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरोधी अभियान हेतु संस्थानों में पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय।
6. उच्च शिक्षण संस्थानो में निबन्ध लेखन तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।
7. गृह मंत्रालय भारत सरकार के लिंक https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/ में शिक्षकों/छात्रों द्वारा say yes to Life, No to Drugs Pledge की शपथ लेते हुए वचनबद्धता का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।
8. छात्रों को नशा मुक्ति अभियान से अवगत कराते हुए नशा मुक्ति की शपथ दिलायी जाय । (शपथ पत्र का प्रारुप संलग्न है।)

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि रा0से0यो0 के सम्बद्ध समस्त इकाईयों के कार्यक्रम अधिकारी कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

डॉ0(राकेश कुमार यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा0 कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
6. वेव मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त् सूचना विश्वविद्यालय की वेवसाइट एन0एस0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0(राकेश कुमार यादव)

शपथ

हमें अहसास है कि हमारे देश में, विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरूपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है, हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।

हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशामुक्त जीवन–यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके।

आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन–यापन करेंगे।